ECGC ईसीजीसी

EXPORT CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF INDIA LTD.

(A Government of India Enterprise)

You focus on exports. We cover the risks.

प्रेस रिलीज

दिनांक : 19 जनवरी, 2007

लघु एवं मध्यम निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा के अतिरिक्त ईसीजीसी की फैक्टरिंग सेवाओं का लाभ

मुंबई, भारत, 19 जनवरी, 2007 : भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी), राष्ट्रीय निर्यात क्षेत्र में भारत का नं.1 तथा विश्व का 5वाँ बड़ा ऋण बीमाकर्ता आज इन हाउस प्रभाग के रूप में फैक्टरिंग कारोबार में विधिवत प्रवेश की घोषणा करता है जो थोडे ही समय में कारोबारी शाखा के रूप में कार्य करेगा ।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ.क्रिस्टी फेर्नांडिज, ने फैक्टरिंग कारोबार का प्रारंभ करने पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि, "भारत वर्तमान में सदेउ के लगभग 14% तक निर्यात करता है उसमें से वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात पिछले चार वर्षों में 23% से अधिक तक बढ़ गया है । इस वृद्धि के बावजूद सभी लघु व मध्यम निर्यातकों को आरोह्य नकदी प्रवाह की दाहक समस्या का सामना करना पडता है और इसका सीधा परिणाम ल व म नि के संभावित वृद्धि पर पड़ता है ।

अ.प्र.नि. ने आगे कहा कि हमारा नया फैक्टरिंग कारोबार निर्यातकों की लंबे दिनों से रही मांग कि प्राप्यों को सीधा नकद में परिसमापन को ही संबोधित करता है । "वित्तीय संस्थाओं को गारंटी देकर तथा निर्यात कारोबार को ऋण जोखिम प्रदान कर निर्यात को बढावा देना यह हमारे कॉर्पोरेट मिशन रणनीति है ।"

सामान्यतया यह कहा जाता है कि ल व म नि अल्प अवधि वित्तीय सौदों की सेवाओं पर बैंकों द्वारा लादे गए उच्च ब्याजदर तथा अतिरिक्त संपार्श्विनिक आवश्यकताओं से पीड़ित है जो देश की अर्थव्यवस्था व उसकी वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते है । यदि ल व म नि का इस क्षेत्र में योगदान बढाया जाए तो अर्थव्यवस्था को रोजगार उत्पादन, उद्यमशीलता का निर्माण आदि महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते है ।

निर्यातकों की ऋण की मांग को शीघ्र पूरा करने के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ गठबंधन हो गया है । उनके स्लोगन की उद्घोषणा "थिंक बिगर" के अनुसार, वे ईसीजीसी के साथ मिलकर ल व म नि के क्षेत्र में भी निर्यात वित्त में अपना योगदान देना चाहते हैं ।   ईसीजीसी प्रत्येक बीजक का समर्थन करेगा तथा अपने बैंकिंग भागीदार आईडीबीआई से बीजक मूल्य के 80-90% तक ईसीजीसी की अवसूलीय गारंटी पर ऋण प्रदान करने के लिए कहेगा ।"

अपनी मुख्य गतिविधि ऋण बीमा के अतिरिक्त आज ईसीजीसी सेवाओं की शृंखला प्रस्तुत करती है । उसमें निर्यातकों को वित्त प्रदान करने वाले बैंकों को गारंटी तथा बीमा प्रदान करना, परियोजना निर्यातों को रक्षा प्रदान करना तथा निवेश बीमा आदि का समावेश है ।   ऋण के लिए जमानत हेतु अचल संपत्ति पर निर्भर रहनेवाले व्यापारी बैंको द्वारा छुट गई रिक्तीयों को फैक्टरिंग पूरा करेगा ।

नई योजना की स्थापना के अवसर पर किए गए अपने वक्तव्य में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने इसकी कामयाबी चाहते हुए शुभकामनाएँ दी व कहा कि "नई योजना के भारतीय निर्यातकों को बहुत फायदे है तथा यह योजना निर्यात वृद्धि को निश्चित ही फायदेमंद है ।" ईसीजीसी अपनी पूरी क्षमता तथा सेवा तंत्र के जरिए सभी ल व म नि के पास पहुँचेगा तथा उन्हें फैक्टरिंग सुविधाओं की पूरी सहायता प्रदान करेगा ।   उन्होंने यह भी कहा कि ईसीजीसी अपने पूरे मेहनत के साथ निर्यातकों के पास पहुँचेगा व उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवा प्रदान करेगा ।

उत्पाद का मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण घटक है और ईसीजीसी ने इस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सरकार यह अपेक्षा करती है कि ईसीजीसी चुनिंदा देशो के बाजार के साथ साथ विशिष्ट वस्तूओं के समूह में भी अपना व्यापार बढाए। भारत सरकार, ईसीजीसी को आवश्यक पूँजी आधार एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वचनबध्द है जिससे ईसीजीसी गतिशील संघटन बने। इस संदर्भ में ईसीजीसी को अपने सभी प्रयास जारी रखने होंगे जिससे

परिवर्तनशील हल ढ़ूँढा जा सके और वो निर्यातको, बैंको और वित्तिय संस्थाओं के अपेक्षा अनुरुप हो।

ईसीजीसी अध्यक्ष के वक्तव्य के अनुसार,"हमें पूरा विश्वास है कि नया व्यापार अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है और यही सही समय है कि हम अपने सारे प्रयत्न करके एक ही स्थान पर विभिन्न व्यापार वित्त के क्षेत्रों से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करा दें।"

#########